

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2136 / 2013 / जोधपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापंचन-प्रथम, आबूरोड़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स वरुण बैवरेजेज लिमिटेड, बोरानाडा, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री जमील जई, उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 31 / 08 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील, अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 137 / अपीलस-III / आरवीएटी / M / जयपुर / 2012-13 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 14.6.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापंचन, आबूरोड़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये आदेश दिनांक 09.05.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

3. उक्त प्रकरण में व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर माल का ब्रांच ट्रांसफर करते समय परिवहन के दौरान अनिवार्य घोषणा पत्र VAT 49 संलग्न नहीं करने से इसे अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित की गई थी इसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील, अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्ण विवेचन के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स डी.पी. मेटल्स के निर्णय (124 STC Page 611) के आलोक में स्वीकार की गई है, जिसके विरुद्ध राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि माल के परिवहन के समय जांच करने पर माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज संलग्न पाये गये थे परन्तु ड्राईवर द्वारा त्रुटिवश घोषणा पत्र VAT 49 पीछे कार्यालय में ही रह गया था, जिसे जांच के तुरन्त बाद स्पष्टीकरण सहित प्रस्तुत कर दिया



लगातार.....2

गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित आदेश केवल VAT 49 के संलग्न नहीं होने के आधार पर धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए किया गया है। कर निर्धारण आदेश में शास्ति का आरोपण माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इन्डस्ट्रीज बनाम सी.टी.ओ. (2007) 7 एस.सी.सी. 209 के निर्णय के आलोक में करना उल्लेखित किया है जबकि मैसर्स गुलजग इन्डस्ट्रीज का निर्णय खाली या अपूर्ण घोषणा पत्र के प्रकरणों पर ही लागू योग्य है जबकि इस प्रकरण में घोषणा पत्र वैट-49 भूलवश पीछे छूट जाने का बिन्दु था। घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं होने के तथ्यों पर माननीय उच्चतम न्यायालय का मैसर्स डी.पी.मेटल्स का निर्णय लागू योग्य होता है इसीलिये अपीलीय अधिकारी द्वारा डी.पी.मैटल्स के ऊपर वर्णित निर्णय के आधार पर, इस प्रकरण में जांच के तुरन्त पश्चात् सुनवाई के समय घोषणा पत्र वैट-49 प्रस्तुत कर देने से अपील स्वीकार कर धारा 76(2) की पालना मानते हुए शास्ति रूपये 79,688/- अपास्त की है वह न्यायोचित है। अतः अपीलीय आदेश में कोई विधिक भूल प्रतीत नहीं होने से इसकी पुष्टि कर राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।



(के. एल. जैन)
सदस्य